नि0 045-23/2018/रीवा/भू.रा. (170)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

(294)

1. रामनारायण तनय शिवधारी सेन
2. गुलवसिया पत्नी जवाहरलाल सेन
3. श्रीनिवास तनय जवाहरलाल सेन
4. ऊद्धव प्रसाद तनय जवाहर लाल सेन

सभी निवासी ग्राम अमिलिकी तहसील हुजूर सर्किल गोविन्दगढ़ जिला रीवा (म0प्र0) ....आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल गोविन्दगढ़ जिला रीवा (म0प्र0) ....अनावेदक

अधि० श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा पेश। 19.7.18

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल सर्किल गोविन्दगढ़ जिला रीवा (म0प्र0) दिनांक 19/06/2018 जो प्रकरण कमांक 98अ-12/2017-18 संलग्न प्रकरण कमांक 26अ-12/17-18 दिनांक 24/04/2018 में पारित

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है-

1. यह कि राजस्व निरीक्षक सर्किल गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष जो सीमांकन के लिए आवेदन पेश किया गया था उसका न्यायिक रूप से निराकरण न करने तथा सीमांकन प्रतिवेदन में जो त्रुटिपूर्ण पटवारी ने लिखा था उसी को कायम रखने में भूल की गयी है।

(170)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 4523/2018/रीवा/भू.रा0 जिला रीवा

रामनारायण अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन

1	2	3
16.1.19	1. आवेदक की ओर से श्री शिव प्रसाद द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 98/अ-12/2017-18 26/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 24.04.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	